

### कार्यालय/OFFICE OF THE

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार और झारखण्ड

# PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, BIHAR & JHARKHAND प्रथम तल, केंद्रीय राजस्व भवन/1st FLOOR, C.R BUILDING,

बीरचंद पटेल मार्ग, पटना-८००००१/BIRCHAND PATEL MARG, PATNA-800001

ईमेल/Email- patna.pccit@incometax.gov.in

## आदेश संख्या- 207 of 2024

दिनांक: 30.04.2024

सं.सं.PCCIT/PAT/Estt./20015/12/2023-24/................रिक्ति वर्ष 2024 के लिए 20.12.2023 को आयोजित डीपीसी द्वारा अनुशंसित पैनल के अनुसार, निम्निलिखित कर्मचारियों को आयकर अधिकारी (7 वें सीपीसी के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 8 रु. 47,600/- - रु. 1,51,100/- एवं अन्य मान्य भत्ते) के पद पर नियमित आधार पर पर तत्काल प्रभाव से अथवा नए पद पर योगदान देने की तिथि से, जो भी बाद में हो, पदोन्नत किया जाता है।

Sl. No.	Name (Shri)	Category	Date of Birth	Employee Code
1	Shashikant	UR	29.01.91	175174
2	Sangam Tiwari	UR	25.11.88	175183

## Conditions:

1. The above promotion/inter-se-seniority of the above named Officers shall be subject to reversion/revision in view of any further directions/orders of legal forum as well as administrative orders in this regard, received if any.

उपरोक्त नामित कर्मचारियों की उपरोक्त पदोन्नति/पारस्परिक वरिष्ठता इस संबंध में प्राप्त प्रशासनिक आदेश के साथ-साथ कानूनी फोरम के किसी भी अन्य निर्देश/आदेश, यदि कोई हो, के मद्देनजर प्रत्यावर्तन/संशोधन के अधीन होगी।

 The said promotion order is subject to review/reversion due to any contingency like change in number of vacancies, change in Recruitment Rules etc as well as any direction received from any Court/CBDT/DoPT and any other Competent Authority.

उक्त पदोन्नित आदेश किसी भी आकस्मिकता जैसे रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन, भर्ती नियमों में परिवर्तन आदि के साथ-साथ किसी न्यायालय/सीबीडीटी/डीओपीटी और किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किसी भी निर्देश के आलोक में समीक्षा/प्रत्यावर्तन के अधीन है।

3. The said promotion order is subject to outcome of SLP, if filed by the Department with regard to the Order of Hon'ble High Court, Patna dated 06.02.2018 in CWJC No. 17935/2017(main

10) of 301

order) & 16742/2017 (arising out of OAs No. 223/2017 & 356/2017) and any Order of Hon'ble Apex Court which may be applicable which may be applicable in this matter.

उक्त पदोन्नित आदेश, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 06.02.2018 के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 17935/2017 (मुख्य आदेश) और 16742/2017 (के आदेश) (ओएएस संख्या 223/2017 और 356/2017 से उत्पन्न होने वाले) के संबंध में विभाग द्वारा दायर किया गया एसएलपी (यदि ऐसा किया जाता है) में और अन्य किसी भी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी आदेश, जो इस मामले में लागू हो सकता है, के अधीन होगा।

4. The said promotion order is subject to review in respect of any order/direction passed/given by Hon'ble Supreme Court in Special Leave to Appeal(C)No. 30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.11 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and Special Leave to Appeal(C)No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 and other related court cases as intimated vide DoPT OM F.No.36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) dated 15.06.2018.

उपरोक्त पदोन्नित आदेशों CWP संख्या 13218/2009 में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 15.07.11 को दिये गए अंतिम निर्णय के परिणामस्वरूप अपील (c) संख्या 30621/2011 एवं एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 23.08.2017 को दिये गए निर्णय के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गए किसी भी आदेश/निर्देश एवं अन्य न्यायालयीय मामले, जो कि DoPT OM F.No.36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) dated 15.06.2018 द्वारा सूचित किए गए हैं, के अंतर्गत समीक्षा के अधीन होगी।

5. The said promotion order is subject to review in respect of revision/Re-fixation of inter-se-seniority, in feeder cadre in view of advisories issued by HRD, CBDT, New Delhi to implement the judgment of Hon'ble Supreme Court in case of N R Parmar and in the case of K. Meghchandra Singh & Ors versus Nigam Siro & Ors in Civil Appeal No. 8833-8835 of 2019 arising out of SLP(C) Nos 19565-19567 of 2019 and various guidelines of DOPT.

उपरोक्त पदोन्नित आदेश SLP(C) Nos 19565-19567 of 2019 के कारण उत्पन्न K. Meghchandra Singh & Ors versus Nigam Siro & Ors in Civil Appeal No. 8833-8835 of 2019 एवं एन आर परमार के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए पोषक संवर्ग में वरीयता के पुनःनिर्धारण हेतु मानव संसाधन निदेशालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं DoPT के द्वारा निर्णत विभिन्न दिशानिर्देशों के अधीन होगी।

6. The pay of the Officers on promotion may be fixed in accordance with the recommendations as per the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, applicable.

पदोन्नित पाये गए कर्मचारियों का वेतन निर्धारण केंद्रीय सेवा नियम (पुनर्रिक्षित वेतन) के अनुसार 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार होगा।

7. No benefit of pay fixation shall be admissible on promotion in this grade for which financial up-gradation under MACP scheme has already been granted to them in accordance with the provisions contained in DoPT's circular No. 35034/2008/-Estt(D) dated 19.05.2009 and O.M. No. 35034/3/2015-Estt(D) dated 28th September, 2016. However, in certain cases, where regular promotion is not between two successive pay matrix/ grades, higher grade pay/pay matrix (as per 7th CPC) attached to the next promotion post in the hierarchy of the concerned cadre/organization will be payable at the time of regular promotion.

यदि एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान कर दिया गया है तो प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 35034/2008-Estt (D) दिनांक 19 मई 2009 और कार्यालय विज्ञापन संख्या 35034/3/20015 -Estt (D)दिनांक 28 सितंबर 2016 में अन्तर्निहित प्रावधनों के अनुसार इस ग्रेड में पदोन्नित पर वेतन निर्धारण का लाभ स्वीकार्य नहीं होगा तथापि कुछ मामलों में जहाँ नियमित पदोन्नितदो अनुकार्मिक वेतन मैट्रिक्स या ग्रेड के बीच नहीं हैं वहाँ संबंधित संवर्ग या संगठन के पदक्रम में आगामी पदोन्नित पद से संबंधित उच्चतर ग्रेड वेतन/मैट्रिक्स नियमित पदोन्नित के समय देय होगा।

Page 2 of 3

8. It may be noted that in the event of refusing the above promotion, the officer getting promotion as per this order shall be debarred from promotion to the post of Income-tax Officer for a period of one year from the date of refusal of the said promotion or till next vacancy arises, whichever is later, as per the DoPT OM No. 22011/5/91-Estt.(D) dated 27.03.97.

ध्यातव्य है कि उपयुक्त पदोन्नित आदेश को अस्वीकार करने की स्थिति में जिन कर्मचारियों को इस आदेश के अनुसार पदोन्निती वी गई है उन्हें DOPT OM NO.22011/5/91-ESTT(D) तारीख 27 मार्च 1997 के अनुसार पदोन्नित को अस्वीकार करने की तिथि से एक वर्ष तक या अगले रिक्ति उत्पन्न होने तक जो भी बाद में हो आयकर अधिकारी के पद पर पदोन्नित होने से वंचित कर दिया जाएगा।

9. The compliance report regarding joining of the above Officers shall be forwarded by the concerned Head of the Office within seven days of joining of such Officer.

उपर्युक्त कर्मियों की कार्यग्रहण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट कर्मियों के कार्य ग्रहण के सात दिनों के अंदर संबंधित कार्यालय प्रमुख के द्वारा इस कार्यक्रम में अग्रसारित की जाएगी।

(नोट-किसी भी विवाद की स्थिति में इस आदेश का अंग्रेजी पाठ मान्य होगा)

This issues with the approval of the Pr.CCIT(B&J), Patna.

E0.

(पल्लवी)

अपर आयकर आयुक्त (मुख्यालय)(प्रशासन),

पटना

ज्ञापंक संख्या: PCCIT/Estt/Pat/20015/12/2023-24/ 🖵 //

दिनांक: 30.0412024

#### Copy to:

- 1. The DGIT (Inv.), Patna
- 2. The CCIT, Ranchi.
- 3. All the PCsIT/PDIT/CsIT/DIT under Bihar & Jharkhand.
- 4. ADG(Training), NADT-RC, Hazaribagh at Ranchi
- 5. Addl.CIT/JCIT (Appeals), Patna & Ranchi
- 6. Under Secretary to Govt. Of India, Ad.VI, CBDT, New Delhi, 5th Floor, Jeevan Vihar Buidling, 3, Parliament Street, New Delhi-110001
- 7. All the ZAO of Bihar and Jharkhand.
- 8. The GS, ITEF/ITGOA/ITSEWA, Bihar & Jharkhand Circle, Patna
- 9. ITO (Welfare), O/o Pr.CCIT(B&J), Patna
- 10. Officer concerned
- 11. Guard File.

(मनीष कुमार)

आयकर उपायुक्त (मुख्यालय)( प्रशासन),

पटना